खाता धारकों के खातों को सुरक्षित एवं प्रचलित रखने के लिये री-केवायसी बहुत जरूरी भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने कहा

रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट विदिशा। मंगलवार को ग्राम पंचायत खामखेड़ा में भारतीय स्टेट बैंक एवं म.प्र. ग्रामीण बैंक द्वारा जन सुरक्षा कैंप लगाया गया जिसमे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के महाप्रबंधक हेमंत सोनी जी तथा भारतीय रिजर्व बैंक के एल.डी.ओ नवनीत तिवारी, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार, लीड बैंक प्रबंधक भगवान सिंह बघेल , जनपद सदस्य आनंद बघेल एवं ग्राम पंचायत सरपंच मनोज सोलंकी जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जनपद सदस्य आनंद बघेल द्वारा मुख्य अतिथियों को साफा पहनाकर उनका स्वागत एवं सम्मानित किया गया। कैंप के दौरान आर.बी. आई. के महाप्रबंधक हेमंत सोनी ने कैम्प में उपस्थित ग्राहकों एवं आम जन को बतया कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार 10 साल बाद खाते को अपडेट किया जाता है अपडेट करने के लिए री-केवायसी बहुत आवश्यक है अगर हम केवायसी नहीं करवाएंगे तो हमारा खाता असुरक्षित हो जाएगा 10 मिनिट की बहुत साधारण प्रक्रिया है, कियोस्क सेंटर पर पहुंचकर केवायसी कराना होता है। खाते में के. वाय.सी नहीं होने पर शासन द्वारा मिलने वाली हितग्राही मूलक योजनाओं का पैसा खाते में आ तो जाएगा किंतु हितग्राही खाते से पैसा निकाल नही पायेगा इस लिये री-केवायसी कराना अति महत्वपूर्ण है। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विनय कुमार ने बताया कि जन सुरक्षा कैंप के द्वारा आपकी बैंक आपके द्वारा पहुंचकर आपके गांव में ही खाताधारको के खातों की री-के.वाय.सी का कार्य किया जा रहा हैं, यह बहुत आवश्यक है। सभी खाता धारक से आग्रह है कि बैंक द्वारा 20 रुपए प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना एवं 436 रुपये प्रति वर्ष के मान से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना इन तीनों योजनाओं का लाभ अवश्य लें आरबीआई के नियमानुसार 10 वर्ष के बाद खाते का री-के.वाय.सी अपडेट होना बहुत जरूरी है जिसके लिए री-के वाय सी करवाना आवश्यक है। इन कैंपों का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा खातों में री-के.वाय.सी. एवं अप्रचलित खातों के के. वाय.सी. को अपडेट कर उन्हें प्रचिलित करने से संबंधित लाभ एवं महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराना है। अभी तक जिले में 577 ग्राम पंचायतों में से 332 में जन सुरक्षा शिविर का आयोजन किया जा चुका है एवं 30 सितम्बर 2025 तक शेष 245 ग्राम पंचायतों में प्रतिदिन प्रति प्रति विकास खंण्ड एक शिविर आयोजित हो रहे है। यदि कोई व्यक्ति कैम्प में आने से रह गया है तो वह अपनी निकट की शाखा मे या कियोस्क सेंटर पर जाकर री-के.वाय.सी करवा सकता है।